<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>25.07.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने 03.05.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नागपुर के समक्ष लक्ष्मी नारायण कौशिक, श्रीमती शची कौशिक, मेसर्स टेक्सटाइल प्रोफेशनल एलएलपी और मेसर्स शची इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 23.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने गुजरात के वापी पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2018 से 2020 के दौरान लक्ष्मी नारायण कौशिक ने अपने साथी के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और स्वयं के वित्तीय लाभ के लिए बढ़ी हुई कीमतों पर कम गुणवत्ता का कपास खरीदकर मेसर्स वेलस्पन लिविंग लिमिटेड के साथ आपराधिक विश्वासघात किया। वह जबरन वसूली और गवाहों को धमकाने में भी लिप्त थे। इसके अलावा, वेलस्पन लिविंग लिमिटेड के संवेदनशील डेटा को अवैध रूप से प्राप्त करने और साझा करने के लिए लक्ष्मी नारायण कौशिक के खिलाफ अहमदाबाद के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा एक और एफआईआर दर्ज की गई थी।

ईडी की जाँच से पता चला है कि लक्ष्मी नारायण कौशिक द्वारा उनके स्वामित्व वाली और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों/संस्थाओं में कुछ फर्जी संस्थाओं/शेल कंपनियों से अस्पष्टीकृत क्रेडिट प्राप्त किए गए थे, जिन्हें उनके द्वारा लाभकारी रूप से नियंत्रित संस्थाओं के एक जटिल जाल का उपयोग करके आगे रूट किया गया था। उन्होंने पीओसी को बेदाग दिखाने के लिए इसकी परतों और एकीकरण के उद्देश्य से 02 कंपनियां बनाई थीं। इस संबंध में, एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें लक्ष्मी नारायण कौशिक और अन्य से संबंधित 2.60 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गई थीं।

जाँच के दौरान, लक्ष्मी नारायण कौशिक को उनके असहयोगी रुख और मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता के कारण 06.03.2024 को गिरफ्तार किया गया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।